सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमण्डल भभुआ

जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

अल्पकालिन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–05/2023–24

पत्रांकः–........................ /भभुआ, दिनांकः–........................./2024

1.विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पताः–कार्यपालक अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमण्डल, भभुआ।

2.निविदा आमंत्रण की तिथि :– दिनांक–19.01.2024

3.निविदा प्रपत्र की बिक्री की तिथिः– दिनांक– 29.01.2024 से 31.01.2024 तक (कार्यालय अवधि में)।

4.निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समयः– दिनांक–31.01.2024 अपराह्न 3:00 बजे तक।

5.तकनीकी बिड खुलने की तिथि एवं समयः– दिनांक– 31.01.2024 अपराह्न 3:30 बजे ।

6.निविदा प्रपत्र की बिक्री का कार्यालयः– 01. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी

02. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भभुआ।

03. कार्यपालक अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमण्डल, भभुआ।

7.निविदा प्राप्ति का स्थान :– क्रमांक–06 अंकित सभी कार्यालयों में।

8.वितीय बिड खोलने के तिथि समय एवं स्थानः– सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में धोषित की जायेगी।

9.कार्य की विवरणीः–

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू0 में) जो लौटायी नहीं जायेगी	कार्य समाप्ति की तिथि	अभियुक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	मलिक सराय माईनर पर अवस्थित एक्वाउक्ट मरम्मति कार्य।	2,00,000=00	4,000=00	500=00	15 दिन	
02	सुअरा बॉयी नहर के विभिन्न विन्दुओं पर बॉध मरम्मति कार्य।	1,70,000=00	3,400=00	500=00	15 दिन	
03	बेलारो शिविर अन्तर्गत आवास सं0–डी0 02 का रंगाई–पुताई एवं आवास सं0–ई–05 से ई0–06 ई0–15 से ई0–20 तक के सामने पी0 सी0 सी0 ढलाई कार्य।	1,82,980=00	3,700=00	500=00	15 दिन	
04	सिंचाई अंचल, भभुआ कार्यालय का चाहरदीवारी का निर्माण कार्य तथा अंचलीय कार्यालय में शेड निर्माण कार्य।	2,25,306=00	4,600=00	500=00	15 दिन	

10.निविदा से संबंधित विस्तृत शर्ते, नियम, अग्रधन का स्वरूप, निविदा एवं अन्य जानकारी के लिए परिमाण विपत्र बिक्री कार्यालय स्थल से सम्पर्क किया जा सकता है।

Vishwajeet 19/1/24

19.01.24

कार्यपालक अभियंता,
सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमण्डल, भभुआ।

19.01.24

नियम एवं शर्तः–

11. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में धटोत्तरी एवं बढोत्तरी हो सकती है। अग्रधन की राशि प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत एवं 100/–रू के गुणक में होगा जिसे जमा करना होगा।
12. अग्रधन की राशि डाकधर बचत खाता पासबुक 1/2/3 वर्षीय डाकधर में सावधि जमा , राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीयकृत बैकों द्वारा निर्गत एफ0 डी0 जो कार्यपालक अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमण्डल, भभुआ (कैमूर) के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित हो स्वीकार किए जायेंगे। पूर्व प्रतिज्ञित की मान्यता नहीं दी जाएगी।
13. निविदा प्रपत्र (BOQ) वर्णित मूल्य का O-Grass के माध्यम से E-Challan द्वारा निर्धारित समय के अन्दर भुगतान (Success) होने के उपरान्त/ बैक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत बैकों द्वारा निर्गत कार्यपालक अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमण्डल, भभुआ को भुगतेय के रूप में जमा करने पर प्राप्त किया जायेगा । निविदा प्रपत्र प्राप्ती के बाद मूल्य किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जायेगा।
14. निविदा दो मुहरबंद लिफाफे में क्रमांक–01 एवं02 जिसमें क्रमशः तकनीकी बीड तथा वित्तीय बीड रहेगा जिसे तीसरे लिफाफे में वन्द कर समर्पित करना होगा। निविदा खोलने की तिथि को कार्यपालक अभियंता सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमण्डल, भभुआ के कार्यालय में खोला जायेगा। तकनीकी बीड में सफल होने वाले निविदाकारों के वित्तीय बीड को सक्षम पदाधिकारी द्वारा सूचित कर निर्धारित तिथि को खोला जायेगा। जो निविदाकार तकनीकी बीड में असफल होगे उनका वित्तीय बीड नहीं खोला जायेगा एवं उन्हे लौटा दिया जायगा।
15. पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना सं0–13589(S) ,पटना दिनांक–13.12.11 के कंडिका (4) के उप कंडिका (च) में निहित प्रावधान के अनुसार रू0–25.0 (रू0 पच्चीस लाख) तक के कार्यो के निविदा में श्रेणी–4 में निबंधित स्थानीय संवेदक ही भाग ले सकेंगें।
16. निविदादाताओं को निविदा के साथ निम्नलिखित स्वअभिप्रमाणित दस्तावेज देना अनिवार्य हैः–
    (क). निविदादाता को समुचित श्रेणी में निबंधित प्रमाण–पत्र
    (ख). निर्गत परिमाण विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि, बिहार सरकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमान्य स्वरूप में।
    (ग). निम्न आशय का शपथ–पत्र (Affidavit) निविदा के साथ समर्पित करना होगा जो इस प्रकार हैः–"

    I the undersigned, do hereby cerfity that all the statements made in the required attachments are true and correct, and if found fake/ forged. the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing."
17. संवेदक को लिफाफे के ऊपर अपना दूरभाषा संख्या तथा मोबाईल न0 यथासंभव अंकित करना चाहिए ताकि निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना उन्हें स–समय दी जा सकें।
18. वित्तीय बीड में संवेदक द्वारा दर अंकित किया जायेगा, जो दशमलव के दो अंक तक मान्य होगा।
19. विभागीय निर्माण सामग्री उपलब्ध रहने पर संवेदक को निर्गत किया जा सकता है जिसके विरूद्ध निर्धारित दर पर विपत्र से कटौती कर ली जायेगी।
20. निविदा डालने के पूर्व संवेदक स्थल निरीक्षण कर लें। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। बिना कारण बताए निविदा को रद्ध करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
21. संवेदक को सभी कार्य विस्तृत परिमाण विपत्र में वर्णित शर्तो एवं स्वीकृत कार्य के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है तथा जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निविदा संबंधित सभी अद्यतन अनुदेश एवं शर्त्ते निविदा के लिए मान्य होगी।
22. सफल निविदादाता को जनकार्य प्रपत्र एफ–2 (क्लॉज 23 विलोपित) पर एकरारनामा करना होगा।
23. संदेहास्पद कार्य करने वाले एवं जिनके विरूद्ध कालीकृत करने की कार्रवाई चल रही है, ऐसे संवेदकों की निविदा मान्य नहीं होगी।

24. 01 प्रतिशत शेष की राशि संवेदक के विपत्र से काटकर बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मद में जमा किया जायेगा।
25. निविदा विविदादाताओं एवं उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोला जायेगा।
26. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में सर्म्पक किया जा सकता है।
27. तकनीकीं बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिती में संवेदक का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
28. सभी निविदाताओ का जी0 एस0 टी0 पंजीयन एवं पैन न0 अनिवार्य है।
29. जल संसाधन विभाग का पत्रांक–1/PMC/विविध/879/पार्ट–II–124 के संदर्भ में पुलिस द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
30. निविदित प्रतिशत दर के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0–9941/2022 के मामले में दिनांक–21.12.2022 को सुनवाई के उपरान्त पारित न्यायादेश एवं विभागीय पत्रांक–915 दिनांक–24.12.2022 लागू था। परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक–06.07.2023 को सुनवाई के उपरान्त वादी द्वारा दायर Writ याचिका को Dismissed कर दिया गया है। अतएव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–4439 दिनांक–17.07.2023 एवं विभागीय पत्रांक–536 दिनांक–18.07.2023 के आलोक में परिमाण विपत्र में वर्णित राशि से 10/ (दास प्रतिशत) के कम की निविदित दर अमान्य की सीमा को समाप्त की जाती है।
31. जल संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक–50 दिनांक–20.01.2020 तथा पथ निर्माण विभाग, बिहार की अधिसूचना सं0–447 (S) दिनांक–16.01.2020 एवं पत्रांक–449 (S) दिनांक–16.01.2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्विति में निविदा दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उदृत दर वाले निविदा के लिए। Additional Performance Guarantee तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

Vishwajeet 19/1/24   19.01.24

कार्यपालक अभियंता,
सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमण्डल, भभुआ।

पत्रांकः–117 भभुआ/ दिनांकः–19/01/2024

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी,जल संसाधन विभाग,सिंचाई भवन पटना को उनके पत्रांक–109 दिनांक–19.01.2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि क्षेत्रिय सामाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करने की कृपा करें।

Vishwajeet 19/1/24   19.01.24

कार्यपालक अभियंता,
सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमण्डल, भभुआ

19.01.24